(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित)**

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 129 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48,49 और 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्‌द्वारा, पारादीप पत्तन न्यास के वर्तमान दरमान की वैधता को, संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

<u>प्रकरण सं. टीएएमपी/60/2005-पीपीटी</u>

<u>आ दे श</u>
(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

यह प्रकरण पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. पीपीटी का वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी / 60 / 2005-पीपीटी दिनांक 12 अक्तूबर 2007 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। आदेश ने दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 तक निर्धारित की थी।

3. अपने दरमान के संशोधन के लिए पीपीटी द्वारा दाखिल दिनांक 22 दिसंबर 2009 का प्रस्ताव परामर्श पर ले लिया गया है। साथ-ही-साथ प्रस्ताव की जांच-परख भी की जा रही है। इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचार विमर्श के लिए परिपक्व होने में अभी कुछ और समय लगेगा।

4.. चूंकि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो जाएगी और प्रकरण को इस प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श के लिए अंतिम रू प देने में अभी कुछ और समय लगेगा, यह स्वीकार करते हुए यह प्राधिकरण पीपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितंबर 2010 या संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है।

5. 1 अप्रैल 2010 के बाद वाली अवधि में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसकी निष्पादनता की समीक्षा के समय ऐसे अतिरिक्त अधिशेष को निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में समायोजित किया जाएगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष